

राजस्थान सरकार

(कायदा - 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला - भीलवाडा (राज.)

२०२४/३३६

किरम मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
पिचन पत्र 111-128	२४४ / २०२४	२/७/२४		९/७/२४ ८/८/२४
	२४४/२४			
			२४/८	
			८/८/२४	

अनवान

श्री मुकेश पिता गोपाल गहिवारी (अधिवक्ता) श्री सुभाष भामरा वंशीभामरा
(अधिवक्ता) (अधिवक्ता)
निवासी कांस्या व विजयपुरा निवासी कांस्या व विजयपुरा

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रैस्पोंडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री सुभाष भामरा वंशीभामरा श्री

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

विजौलियां

मुकेश

बनाम

श्यामल

नोटिस नुम्बर

111-128

नम्बर

244

/2024

पुनः या न्यायक्षेत्री मया इनिशियलस जल

नम्बर व तारीख
अहकम जो उक्त
दुबन की तारीख
में जारी हुए


27
/2024

प्रार्थना पत्र सीमे से वाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हैं। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 07/07/2024 को पेश हो।


उपखण्ड अधिकारी
विजौलियां

9/7/24

पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता पक्षी से सह-खासदार सुरजमल पेश हुआ, उसके पक्षगती नहीं करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली मजामत दिनांक 10/7/24 को पेश हो।



16/8/24

पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता पक्षी उपरिष्ठ विपक्षीगण की बाद तामीन प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण बाद सुरजमल मजामत। पत्रावली वास्ते बरतल मजामत दिनांक 08/8/24 को पेश हो।

8/8/24

पत्रावली पेश हुई सह-खासदार सुरजमल (वादीगण) स्वयं उपस्थित। सुरजमल ने पक्षगती नहीं करने बाबत निवेदन किया, जिसे स्वीकार किया गया। सुरजमल (16) श्रमि का हिस्सेदार है, मतः सुरजमल के निवेदन के आधार पर प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर पक्षिण पक्ष हो।